

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(13)गृह-1/2016

जयपुर, दिनांक :

11 2 SEP 2017

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.08.2017 की अभिशंषानुसार राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2015-16-

श्री रघुनाथ गर्ग को उनके विरुद्ध द्वितीय दण्डादेश दिनांक 23.07.2015 परिनिन्दा के प्रभाव स्वरूप वर्ष 2015-16 में पदोन्नति से वंचित किया गया। इसी वर्ष चयन वेतन श्रृंखला के श्री आलोक श्रीवास्तव को दिनांक 23.01.2017 को आयोजित रिव्यू डीपीसी की बैठक में सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2015-16 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप प्राप्त रिक्ति तथा दिनांक 23.01.2017 को आयोजित रिव्यू डीपीसी की बैठक में श्री रामकुमार कस्वां का चयन आरपीएस की चयन वेतन श्रृंखला में वर्ष 2015-16 के बजाय वर्ष 2014-15 में किया गया एवं श्री रामकुमार कस्वां का नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची से विलोपित किये जाने से प्राप्त कुल 2 रिक्तियों के विरुद्ध श्री दशरथ सिंह एवं श्री कैलाश सिंह सांदू को पदोन्नति प्रदान की जाती है। श्री दशरथ सिंह की वरिष्ठता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा के नाम के नीचे एवं श्री कैलाश सिंह सांदू की वरिष्ठता श्री दशरथ सिंह के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2016-17-

समिति द्वारा वर्ष 2016-17 की चयन सूची में से श्री दशरथ सिंह एवं श्री कैलाश सिंह सांदू का वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन होने से इनका नाम वर्ष 2016-17 की चयन सूची से विलोपित किये जाने एवं इसी चयन सूची से विभागीय आदेश दिनांक 15.09.2016 के माध्यम से श्री राज्यवर्द्धन सिंह एवं श्री विनोद कुमार गांधी की सेवानिवृत्ति तिथि को चयन वेतन श्रृंखला में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश वापस लिए जाने से प्राप्त कुल 4 रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2016-17 में पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

| क्र० सं० | नाम अधिकारी | वर्ग | पदोन्नति तिथि | वरियता क्रम |
|----------|-----------------------|---|---------------|---|
| 1. | श्री रघुनाथ गर्ग | एस०सी० (सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध) | 01.04.2016 | डॉ० विक्रम सिंह के नाम के उपर निर्धारित की गई। |
| 2. | श्री पारसमल जैन | सामान्य | 01.09.2016 | श्री प्रकाश सिंह के नाम के नीचे। |
| 3. | श्री समीर कुमार | सामान्य | 01.11.2016 | श्री पारस मल जैन के नाम के नीचे। |
| 4. | श्री प्रवीण कुमार जैन | सामान्य | 01.12.2016 | श्री समीर कुमार के नाम के नीचे। |

उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,


६०

(चेतन देवडा)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक पुलिस, राज०, जयपुर।
5. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस